



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 4, April 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

भारत में सतत विकास लक्ष्य: मुद्दे और चुनौतियाँ

BHUPENDRA CHOUDHARY

MA, B.Ed, NET (Economics), AJMER, Rajasthan, India

सार

सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार, और सभ्य काम को बढ़ावा देना। लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।

परिचय

एजेंडा-2030 और भारत

गौरतलब है कि भारत सरकार ने पहली बार, न्यूयार्क में जुलाई, 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (High-level Political Forum) पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह वह मंच है जहाँ एजेंडा 2030 के अंतर्गत तय लक्ष्यों के सन्दर्भ में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। इस वर्ष भारत सहित 44 राष्ट्र इन लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। यह एजेंडा 2030 और इस संबंध में भारत द्वारा की गई प्रगति को समझने का एक उपयुक्त अवसर है।

क्या है एजेंडा 2030

- विदित हो कि वर्ष 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत विकास लक्ष्य (sustainable development goals-SDG) निर्धारित किये गए थे।
- उल्लेखनीय है कि 2000-2015 तक की अवधि के लिये सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (millennium development goals-MDG) की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी।
- तत्पश्चात, आने वाले वर्षों के लिये एक नया एजेंडा (SDG-2030) को औपचारिक तौर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने अंगीकृत किया था। सतत विकास लक्ष्यों की बात करने से पहले यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्य क्या थे?

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (millennium development goals-MDG)[1,2,3]

- भुखमरी तथा गरीबी को खत्म करना।
- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना।
- लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना।
- शिशु-मृत्यु दर घटाना।
- मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- एचआईवी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना।
- पर्यावरण सततता।
- वैश्विक विकास के लिये संबंध स्थापित करना।

गौरतलब है कि भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से एचआईवी/एड्स, गरीबी, सार्वभौमिक शिक्षा तथा शिशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है। जबकि अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत अभी भी बहुत पीछे है। हालाँकि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है।

सतत विकास लक्ष्य (sustainable development goals-SDG)

- 'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है।
 - भारत सहित 193 देशों ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था और एक जनवरी, 2016 को यह लागू किया गया।
 - इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हें 2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिये गए हैं, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030, में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था जो इस प्रकार से हैं:
- गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
 - भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
 - सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
 - समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
 - लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
 - सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
 - सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार, और सभ्य काम को बढ़ावा देना।
 - लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा।
 - देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
 - सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
 - स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
 - जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
 - स्थायी सतत विकास के लिये महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
 - सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। [4,5,6]
 - सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
 - सतत विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना।

(टीम दृष्टि इनपुट)

एजेंडा 2030 में निहित उम्मीदें

सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएँ पूरी करे।

सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिये समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात् सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के बाद (जो 2000 से 2015 तक के लिये निर्धारित किये गए थे) विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें चुनौतियाँ कम और आशाएँ अधिक

हैं।

एजेन्डा 2030 के सन्दर्भ में भारत की प्रगति

- भारत लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है।
- भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एजेन्डा 2030 के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी दूर करने के उद्देश्यपूर्ति के लिये सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी गई है।
- सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटा बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं।
- इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैसे होगा भारत की प्रगति का आकलन?

- केंद्र सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की ज़िम्मेदारी, नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करना, जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के अंतर्गत अपनाए जा सकते हैं।
- इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे उससे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा। यह विचारणीय है कि भारत इसकी प्रमुख उपलब्धियों जैसे-स्वच्छ भारत, वित्तीय समावेशन आदि को उजागर करेगा।
- सरकार पहले ही मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों की पहचान कर चुकी है जिन्हें सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों से सम्बद्ध किया गया है। सरकार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के लिये नागरिक समाज से भी सुझाव मांगे हैं।
- परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिक समाज संगठनों(CSO) के ये सुझाव सरकार की रिपोर्ट का हिस्सा होंगे अथवा नहीं।[7,8,9]
- स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया एक ओर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में की गई प्रगति के आकलन का एक उपयुक्त मंच है लेकिन वर्ष 2016 की समीक्षा में सरकार ने यह बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने का प्रयास किया था।

और अधिक प्रगति की अपेक्षा

- उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद एजेन्डा 2030 में तय लक्ष्यों के संबंध में भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती और इसके लिये भारत को निम्न बातों पर ध्यान देना होगा:
- सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिये हमें अनेक मोर्चों पर कार्य करना होगा ताकि पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की हमारे देशवासियों की वैध इच्छाओं को पूरा किया जा सके।
- हमारे संघीय ढाँचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिये।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- भारत को यदि एजेन्डा 2030 में तय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो।
- साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा।

- गौरतलब है कि हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक नहीं प्राप्त कर सके थे तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तय नीतियों का क्रियान्वयन सशक्त नहीं था।
- सतत विकास के लक्ष्यों को यदि हम 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत एक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।

विचार-विमर्श

2015 के बाद का विकास एजेंडा संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के रूप में सफल बनाता है और सितंबर, 2015 में भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। एसडीजी ने गरीबी से परे जाने का वादा किया था "किसी को भी पीछे न छोड़ें" पर विशेष ध्यान देने के साथ कटौती और इसमें समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस प्रकार, एसडीजी केवल एमडीजी की निरंतरता नहीं बल्कि इसका विस्तार है। एसडीजी पर एक संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट', 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य सामने रखता है जो विकास के लिए सार्वभौमिक, एकीकृत और अविभाज्य हैं। वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए 300 संकेतक विकसित किए गए हैं।

हालाँकि राष्ट्रीय सरकारें एसडीजी को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थीं, तथापि, उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे 2030 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वामित्व लें और एसडीजी को अपने राष्ट्रीय नीति ढांचे के साथ एकीकृत करें।

एसडीजी के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक भागीदार देश को घरेलू स्रोतों, निजी क्षेत्र से वित्त पोषण और अवैध वित्तीय प्रवाह और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के माध्यम से अपने स्वयं के संसाधन जुटाने होंगे। एसडीजी ने विकास के मोर्चे पर भारत को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को संरक्षित करने, बजट बढ़ाने और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों की तैयारियों में सुधार करने का एक नया अवसर प्रदान किया है।^[10,11,12]

इस दिशा में, भारत की केंद्र सरकार ने एसडीजी को अपने राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ संरेखित करने का प्रयास किया और विज्ञान, रणनीति और एक्शन एजेंडा जैसे प्रमुख नीति दस्तावेज़ लाने पड़े। इसी तरह की कवायद राज्य और जिला स्तर पर भी की जानी है। विज्ञान दस्तावेज़ को 2030 तक एसडीजी के लिए प्रस्तावित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसका उद्देश्य भारत को एक समृद्ध, उच्च शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त, ऊर्जा प्रचुर, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनाना था। राष्ट्र। अब तक, केंद्र सरकार का विज्ञान दस्तावेज़ सार्वजनिक डोमेन में साझा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे तैयार और जारी कर दिया है। 2018 में 2017-18 से 2023-24 तक की अवधि को कवर करते हुए सात साल की रणनीति दस्तावेज़ जारी किया गया है। यह दस्तावेज़ दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कार्यान्वयन योग्य नीतियों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। एक्शन एजेंडा सरकार के लक्ष्यों को 2019 तक हासिल किए जाने वाले कार्यों में तब्दील करने में मदद करेगा। यह 14वें के पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए एसडीजी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा का एक हिस्सा है। वित्त आयोग पुरस्कार अवधि।

इसके अलावा, एसडीजी लक्ष्यों के अनुसार केंद्र और चुनिंदा राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों की मैपिंग की गई है, लेकिन जिलों/स्थानीय सरकारों के स्तर पर कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। एसडीजी और उससे जुड़े लक्ष्यों की निगरानी के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य हितधारकों के परामर्श से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 306 राष्ट्रीय संकेतकों वाला एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया गया है। एजेंसियां और सीएसओ। नीति आयोग ने यूएन इंडिया के साथ साझेदारी में, दिसंबर 2018 में एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट (14 एसडीजी में 62 संकेतकों का समग्र सूचकांक) और एक डैशबोर्ड विकसित किया। डैशबोर्ड विभिन्न एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई उपलब्धियों को मापता है। विकास संकेतकों के चुनिंदा सेट पर उनकी रैंकिंग। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ एकीकरण करते हुए अपनी स्थानीय स्तर की प्राथमिकताओं के माध्यम से एसडीजी को लागू करने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों को भी इसी तरह के प्रयास करने होंगे।

हालाँकि नीति आयोग और कुछ राज्यों ने नीतिगत पहल की है, लेकिन एसडीजी की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी और लाभों तक पहुंच से संबंधित संस्थानों, प्रक्रियाओं में संभावित बाधाओं को दूर करने में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, एसडीजी के स्थानीयकरण के संदर्भ में, नीति और बजट निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और रणनीति की निगरानी की प्रक्रिया राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर एसडीजी को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। इसके अलावा, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय सरकारों को धन, कार्यों और पदाधिकारियों (3एफ) का हस्तांतरण अभी भी अधिकांश राज्यों में एक दूर का सपना है। इसलिए, स्थानीय सरकारें (ग्रामीण और शहरी) लोगों की भागीदारी के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए लोगों की योजना और स्थानीय बजट तैयार करने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की

निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते नीति आयोग ने राज्यों को स्थानीय सरकारों को 3एफ सौंपने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।

दूसरे, नीति आयोग की तरह, राज्यों में राज्य योजना विभागों/बोर्डों को राज्य स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अभी तक कई राज्य वित्तीय और मानव संसाधनों की पर्याप्तता और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपनी क्षमता को देखते हुए एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, नीतियों को फिर से डिज़ाइन करने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं।

तीसरा, घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि के लिए मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने का खराब प्रयास किया गया है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद में केंद्रीय बजट व्यय का हिस्सा 2014-15 में 13.3 प्रतिशत से घटकर 2019-20 (बजट अनुमान) में 13.2 प्रतिशत हो गया था। केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन जुटाने की खराब क्षमता राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च की मात्रा को कम कर देगी क्योंकि वे काफी हद तक ऊपर से होने वाले हस्तांतरण पर निर्भर हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों की विकास नीतियों और बजट प्रमुखों को एसडीजी के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया है।

चौथा, यह देखा गया कि पुरानी पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मानदेय जैसी सेवाओं की इकाई लागत में अपर्याप्तता रही है। फ्रंटलाइन सेवा प्रदाता, स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और रसोइयों के लिए। इससे कई प्रमुख कार्यक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा सेवा वितरण की गुणवत्ता खराब हो जाती है।

पांचवां, कई कारणों से राज्य और केंद्र सरकार से स्थानीय स्तर पर धन जारी करने में देरी के कारण धन प्रवाह में देरी हुई है। संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थानों और नगर निगमों की प्रणालीगत कमजोरी (संस्थागत क्षमता) के कारण धन का अवशोषण कम होता है। मानव संसाधन, प्रशिक्षण और क्षमता की अपर्याप्तता में योजनाओं और कार्यक्रमों की खराब योजना और कार्यान्वयन शामिल है। अधिकांश लाइन विभागों में कर्मचारियों की कमी है और ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में भी रिक्तियों की उच्च दर देखी गई है। ये मुद्दे योजना प्रक्रियाओं पर खराब प्रभाव डालते हैं और एसडीजी के कार्यान्वयन और निगरानी को कमजोर करते हैं।

छठा, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर विकास संकेतकों की तैयारी की कमी के कारण एसडीजी के तहत परिणामों की निगरानी प्रमुख चुनौतियों में से एक रही है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि परिणामों पर अनियमित डेटा रिपोर्टिंग है और ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में डेटा तैयार करने की क्षमता की कमी है। अंत में, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए विकास लाभों की निगरानी और ट्रैकिंग की रूपरेखा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, भले ही सामाजिक समावेशन एसडीजी के तीन स्तंभों में से एक है। स्थानीय स्तर पर एसडीजी की योजना और कार्यान्वयन में हाशिए पर रहने वाले समुदायों (एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक) द्वारा जागरूकता की कमी और खराब भागीदारी है। [13,14,15]

उपर्युक्त चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, एसडीजी पर वर्तमान नीतिगत पहलों को नीति डिजाइन में बदलाव करने, नए संस्थान और विकास कार्यक्रम बनाने, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सेवाओं की बेहतर इकाई लागत और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों को पर्याप्त भुगतान के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। एसडीजी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की पर्याप्तता और उनके प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर एसडीजी पर निगरानी संकेतक और डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है। यह उपयोगी होगा यदि नीति आयोग एसडीजी के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन पर बेहतर स्थानीय स्तर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए योजना विभागों और जिला योजना समितियों के साथ-साथ सीएसओ, थिंक टैंक, अनुसंधान संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ नियमित रूप से जुड़ सके।

परिणाम

पिछले महीने, 193 देश एक महत्वाकांक्षी नए वैश्विक विकास एजेंडे को अपनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में एक साथ एकत्र हुए। अन्य विश्व नेताओं के साथ, प्रधान मंत्री मोदी ने भी 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 17 लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों को मिलाकर एसडीजी 2000 में अपनाए गए

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) पर विस्तार करते हैं जो इस वर्ष समाप्त होने वाले हैं। लेकिन एसडीजी एमडीजी से कितने अलग हैं और उन्हें हासिल करने में प्रमुख चुनौतियां क्या होंगी? यह ब्लॉग उनमें से कुछ पर गौर करता है।

एसडीजीएस: एमडीजी में सुधार?

एमडीजी की सबसे आम आलोचनाओं में से एक उनका सीमित और अस्पष्ट दायरा है और तथ्य यह है कि उन्होंने इतने कम बार लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिससे "विकास को परिभाषित करना" हो गया है। लैट प्रिटचेट और चार्ल्स केनी ने तर्क दिया है कि प्रति दिन 1.25 डॉलर से कम आय वाले लोगों के अनुपात को आधा करने या सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करने आदि पर गरीबी लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है कि भले ही लक्ष्य पूरे हो जाएं, "अरबों लोग अभी भी इससे कम पर जीवन यापन कर सकते हैं।" प्रति दिन 2 डॉलर, केवल सबसे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ, बुनियादी चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी, इनडोर स्वच्छता के बिना घरों में रहना, निर्वाह कृषि में काम करना या पैसा कमाने के लिए सड़क पर फेरी लगाना। यदि एमडीजी न्यूनतम मानक थे, तो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक आयामों को एकीकृत करने वाले एसडीजी उन वैश्विक लक्ष्यों की सबसे व्यापक सूची में से एक हैं, जिनके लिए दुनिया अब तक प्रतिबद्ध है। हालाँकि मार्च 2016 तक संकेतकों की संख्या को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि लक्ष्यों के साथ 100 नहीं तो 1000 संकेतक भी होंगे।

एमडीजी की एक और महत्वपूर्ण आलोचना उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया थी। जैसा कि कहानी कहती है, एमडीजी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के तहखाने में पुरुषों के एक समूह द्वारा तैयार किए गए थे - इतना कि वे पर्यावरण स्थिरता पर 7 वें लक्ष्य को शामिल करना लगभग भूल गए। दूसरी ओर, एसडीजी 3 साल लंबे परामर्श कार्यक्रमों का परिणाम हैं। एक ओपन वर्किंग ग्रुप की स्थापना से लेकर, दोनों विषयों और देशों में परामर्शी बातचीत तक, संयुक्त राष्ट्र ने एक ऑनलाइन माई वर्ल्ड सर्वे पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें लोगों से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों/लक्ष्यों का पता लगाने के लिए वोट करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, जबकि एमडीजी को विकासशील दुनिया पर लागू करने और औसत के माध्यम से प्रगति को मापने के रूप में देखा गया था, एसडीजी सार्वभौमिकता और "किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने" का वादा करते हैं।

इन तुलनाओं को देखते हुए, कम से कम प्रक्रिया और लक्ष्य निर्धारण दोनों में, एसडीजी निश्चित रूप से एमडीजी से एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होते हैं।

लेकिन क्या एसडीजी जैसी वैश्विक प्रतिबद्धताएं भारत के लिए भी मायने रखती हैं?

छोटा जवाब हां है। देश के विशाल आकार और पैमाने का मतलब है कि, वैश्विक लक्ष्यों की सफलता काफी हद तक भारत द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, एसडीजी अधिक सार्वजनिक बहस पैदा करने और मंत्रालयों और विभागों को (कम से कम सैद्धांतिक रूप से) विकास के बारे में न केवल अलग-अलग दायरे में बल्कि एक सामूहिक अभ्यास के रूप में सोचने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन द्वारा एमडीजी (कुछ मायनों में बहस और बातचीत के लिए प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है) के मीडिया और जर्नल संदर्भों का मूल्यांकन करने वाले एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि भारतीय अखबारों में प्रति वर्ष औसतन लेखों की संख्या नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक थी। इसी तरह 2002-2014 के बीच, लैसेट जैसी पत्रिकाओं में एमडीजी पर 1223 लेख थे। जहां तक सार्वजनिक चर्चा के उदाहरणों का संकेत है, यह प्रासंगिक है।

लेकिन, वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अलावा, बड़ा सवाल यह है कि एसडीजी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। एमडीजी की 'कम सीमा' प्रतिबद्धताओं और अक्सर प्रगति की अतिरंजित परिभाषाओं के साथ भारत के मिश्रित परिणामों को देखते हुए, यह सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। नीचे छवि देखें:



एसडीजी हासिल करने में भारत के लिए चुनौतियाँ

मेरे लिए, मोटे तौर पर चिंता के 4 मुख्य क्षेत्र हैं।

संकेतकों को परिभाषित करना : पिछला रिकॉर्ड बताता है कि हम परिणामों को मापने के लिए प्रासंगिक संकेतक स्थापित करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सफलतापूर्वक परिभाषित नहीं किया गया है। भारत की "सुरक्षित" पेयजल की अदूरदर्शी परिभाषा (हैंडपंप और ट्यूबवेल को पाइप से जलापूर्ति के समान ही सुरक्षित माना जाता है) का मतलब है कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 86% भारतीयों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है और परिणामस्वरूप, हम "ट्रैक पर हैं" "पीने के पानी पर एमडीजी लक्ष्य के लिए।

हालाँकि, जलजनित बीमारियों और डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है।

एसडीजी का वित्तपोषण : एक नए अध्ययन का अनुमान है कि 2030 तक भारत में एसडीजी को लागू करने पर लगभग 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में हालिया कटौती को देखते हुए, जब तक राज्य अपने संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक क्षेत्र पर समर्पित नहीं करते, तब तक एक महत्वपूर्ण फंडिंग अंतर होने की संभावना है। उच्च वृद्धि और पुनर्वितरण भी पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एमडीजी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च आर्थिक विकास के बावजूद, 2010 में, दुनिया के 1.2 अरब अत्यधिक गरीबों में से एक तिहाई अकेले भारत में रहते थे। इन बाधाओं को देखते हुए, यह संभावना है कि घरेलू राजस्व को छोड़कर, निजी वित्त एसडीजी के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

निगरानी और स्वामित्व: संबंधित, तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती स्वामित्व के संबंध में होने वाली है। रिपोर्टों से पता चलता है कि नीति आयोग प्रगति पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालाँकि, आयोग के सदस्यों ने इस विशाल कार्य को करने में सक्षम होने पर आपत्ति व्यक्त की है। इसके अलावा, यदि राज्यों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है (14वें वित्त आयोग के बाद हस्तांतरण देना), तो इसके लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी स्वामित्व की आवश्यकता होगी। [15,16,17]

निष्कर्ष

प्रगति को मापना : अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रगति या उपलब्धि को मापने का है। सरकार की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, डेटा की अनुपलब्धता (विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय स्तरों के संबंध में), आवधिकता के मुद्दे और प्रशासनिक डेटा की अधूरी कवरेज ने एमडीजी की प्रगति को सटीक रूप से मापना लगभग असंभव बना दिया है। [18,19]

इन 4 चुनौतियों को छोड़कर, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि एसडीजी व्यापक लक्ष्य और लक्ष्य प्रदान करते हैं, यह राष्ट्रीय और राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे प्राथमिकताओं की पहचान करें, उचित स्थानीय रूप से प्रासंगिक नीतियां तय करें, नवाचार का उपयोग करें और कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करें। योजना लागू है। तभी हमारे पास यह सुनिश्चित करने का कोई मौका होगा कि एसडीजी में 'एस' भी सफल हो। [20]

संदर्भ

1. क्लार्क, विलियम; हार्ले, एलिसिया (2020)। "स्थिरता विज्ञान: एक संश्लेषण की ओर"। पर्यावरण और संसाधनों की वार्षिक समीक्षा। 45 (1): 331-86। doi : 10.1146/annurev-environ-012420-043621।  इस आलेख में CC BY 4.0 लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध पाठ शामिल है।
2. ^ जॉनसन, जस्टिन एंड्रयू; बाल्डोस, उरिस लैटज़; कोरोंग, इरविन; हर्टेल, थॉमस; पोलास्की, स्टीफन; सर्विग्नि, रैफ़ेलो; रॉक्सबर्ग, टोबी; रूटा, जियोवानी; सलेमी, कोलेट; ठकरार, सुमिल (2023)। "प्रकृति में निवेश करने से इकटि और आर्थिक रिटर्न में सुधार हो सकता है"। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही। 120 (27): ई2220401120। बिबकोड : 2023PNAS..12020401J। डीओआई : 10.1073/पीएनएस.2220401120। पीएमसी 10318957। पीएमआईडी 37364118।
3. ^ रॉबर्ट, केट्स डब्ल्यू.; पैरिस, थॉमस एम.; लीसेरोविट्ज़, एंथोनी ए. (2005)। "सतत विकास क्या है? लक्ष्य, संकेतक, मूल्य और अभ्यास"। पर्यावरण: सतत विकास के लिए विज्ञान और नीति। 47 (3): 8-21. बिबकोड : 2005ESPSD..47c...8R। डीओआई : 10.1080/00139157.2005.10524444। एस2सीआईडी 154882898।
4. ^ मेन्सा, न्यायमूर्ति (2019)। "सतत विकास: अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, स्तंभ, और मानव कार्रवाई के लिए निहितार्थ: साहित्य समीक्षा"। ठोस सामाजिक विज्ञान। 5 (1): 1653531. डीओआई : 10.1080/23311886.2019.1653531।
5. ^ ए बी सी। Jump up to: संयुक्त राष्ट्र महासभा (1987)। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट: हमारा साझा भविष्य 31 मार्च 2022 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत किया गया। दस्तावेज़ ए/42/427 के अनुलग्नक के रूप में महासभा को प्रेषित - विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पर्यावरण।
6. ^ संयुक्त राष्ट्र महासभा (20 मार्च 1987)। "पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट: हमारा साझा भविष्य; दस्तावेज़ ए/42/427 के अनुलग्नक के रूप में महासभा को प्रेषित - विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पर्यावरण; हमारा साझा भविष्य, अध्याय 2: सतत विकास की ओर; परिच्छेद 1"। संयुक्त राष्ट्र महासभा। 1 मार्च 2010 को पुनःप्राप्त।
7. ^ पुर्विस, बेन; माओ, योंग; रॉबिन्सन, डैरेन (2019)। "स्थिरता के तीन स्तंभ: वैचारिक उत्पत्ति की खोज में"। स्थिरता विज्ञान। 14 (3): 681-695। बिबकोड : 2019SuSc...14..681P। डीओआई : 10.1007/एस11625-018-0627-5।  पाठ को इस स्रोत से कॉपी किया गया था, जो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के तहत उपलब्ध है
8. ^ "सतत विकास"। यूनेस्को। 3 अगस्त 2015। 20 जनवरी 2022 को लिया गया।

9. ^ ए बी Jump up to: ब्राउन, जेम्स एच. (2015)। "सतत विकास का ऑक्सीमोरोन"। जिव शस्त्र। 65 (10): 1027-1029। डीओआई : 10.1093/बायोसाइ/बीआईवी117।
10. ^ ए बी Jump up to: विलियम्स, कॉलिन सी; मिलिंगटन, एंड्रयू सी (2004)। "स्थायी विकास के विविध और विवादित अर्थ"। भौगोलिक जर्नल। 170 (2): 99-104। बिबकोड : 2004GeogJ.170...99W | doi : 10.1111/j.0016-7398.2004.00111.x | एस2सीआईडी 143181802।
11. ^ ए बी सी डी Jump up to: बर्ग, क्रिश्चियन (2020)। सतत कार्रवाई: बाधाओं पर काबू पाना। एबिंगडन, ऑक्सन। आईएसबीएन 978-0-429-57873-1. ओसीएलसी 1124780147।
12. ^ कीबल, ब्रायन आर. (1988)। "द ब्रंटलैंड रिपोर्ट: 'हमारा साझा भविष्य'"। चिकित्सा और युद्ध। 4 (1): 17-25। doi : 10.1080/07488008808408783।
13. ^ ए बी सी डी ई एफ पुर्विस, बेन; माओ, योग; रॉबिन्सन, डैरेन (2019)। "स्थिरता के तीन स्तंभ: वैचारिक उत्पत्ति की खोज में"। स्थिरता विज्ञान। 14 (3): 681-695। बिबकोड : 2019SuSc...14..681P। डीओआई : 10.1007/एस11625-018-0627-5। आईएसएसएन 1862-4065.  पाठ को इस स्रोत से कॉपी किया गया था, जो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के तहत उपलब्ध है।
14. ^ रैमसे, जेफ्री एल. (2015)। "स्थिरता को परिभाषित नहीं करने पर"। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनवायर्नमेंटल एथिक्स। 28 (6): 1075-1087. डीओआई : 10.1007/एस10806-015-9578-3। आईएसएसएन 1187-7863. एस2सीआईडी 146790960।
15. ^ कोटज़े, लुई जे.; किम, राख्युन ई.; बर्डन, पीटर; डु टिट, लुईस; ग्लास, लिसा-मारिया; काशवान, प्रकाश; लिवरमैन, डायना; मोटेसानो, फ्रांसेस्को एस.; रंटाला, सल्ला (2022), सेनित, कैरोल-एनी; बर्मन, फ्रैंक; हिकमैन, थॉमस (संस्करण), "प्लैनेटरी इंटीग्रिटी", सतत विकास लक्ष्यों का राजनीतिक प्रभाव: वैश्विक लक्ष्यों के माध्यम से शासन को बदलना?, कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पीपी. 140-171, डीओआई : 10.1017/9781009082945.007, आईएसबीएन 978-1-316-51429-0
16. ^ बॉसेलमैन, क्लॉस (2010)। "पेड़ों के लिए जंगल खोना: कानून में पर्यावरणीय न्यूनीकरणवाद"। वहनीयता। 2 (8): 2424-2448। डीओआई : 10.3390/एसयू2082424। एचडीएल : 10535/6499। आईएसएसएन 2071-1050।  पाठ को इस स्रोत से कॉपी किया गया था, जो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 3.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के तहत उपलब्ध है।
17. ^ बर्ग, क्रिश्चियन (2020)। सतत कार्रवाई: बाधाओं पर काबू पाना। एबिंगडन, ऑक्सन। आईएसबीएन 978-0-429-57873-1. ओसीएलसी 1124780147।
18. ^ "वहनीयता"। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। 31 मार्च 2022 को लिया गया।
19. ^ "सतत विकास"। यूनेस्को. 3 अगस्त 2015। 20 जनवरी 2022 को लिया गया।
20. ^ ए बी सी उलरिच ग्रेबर: गहरी जड़ें - "सतत विकास" का एक वैचारिक इतिहास (नचल्टिगकेइट) 25 सितंबर 2021 को वेबैक मशीन संग्रहीत, विसेनशाफ्टज़ेंट्रम बर्लिन फर सोज़ियालफोर्सचुंग, 2007



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details